

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 14/ /2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-5 dated 06 February, 2018 for general information.


**Government of Uttarakhand**  
**Finance Section-8**  
**No. 14/ /2018/18(120)/ XXVII(8)/2017/CTR-5**  
**Dehradun :: Dated:: 06 February, 2018**

**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to exempt the intra-State supply of services by way of grant of license or lease to explore or mine petroleum crude or natural gas or both, from so much of the State tax as is leviable on the consideration paid to the Central Government in the form of Central Government's share of profit petroleum as laid down in the contract made by the Central Government for this purpose.

2. This notification shall deemed to come into force from the 25<sup>th</sup> day of January, 2018.

  
(Radha Raturi)  
Principal Secretary



उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या /2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-5

देहरादून:: दिनांक:: 06 फरवरी, 2018

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण या खनन के लिए लाइसेंस या पट्टा देकर की जाने वाली सेवाओं की अंतःराज्यीय आपूर्ति पर राज्य कर से उस सीमा तक छूट देने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिस सीमा तक यह प्रॉफिट पेट्रोलियम में केन्द्रीय सरकार के हिस्से, इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए अनुबंध में यथा निर्धारित, के रूप में केन्द्रीय सरकार को भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल पर लगाया जाता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

(राधा रतूड़ी)  
प्रमुख सचिव

सं० /4///2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-5 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)

अनु सचिव